

22.10.2024

2024/105 Gcms



फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
विनोद पंचार बनाम बिमला देवी

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 60 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
13.05.2024	<p>प्रार्थी विनोद पंचार की तरफ से वकील श्री अर्जनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक 17 एन डब्ल्यू डी तहसील रावतसर के प.नं. 134/19(7) कि.नं. 16 की 0.2530 है०, किला न० 17 की 0.2530 है०, किला न० 24/2 की 0.2500 है०, किला न० 25/2 की 0.2400 है०, प.नं. 134/27(8) कि.नं. 1/2 की 0.0455 है०, किला न० 8/1 की 0.051 है०, किला न० 9 की 0.2530 है०, किला न० 10/2 की 0.2280 है० भूमि को अप्रार्थी रहन बैय करने से निषेद्ध रहें एवं रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद (यथा खाता विभाजन आदि), रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 18.06.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर </p> <p> 18.06.2024 वकील प्रार्थी के पत्रावली/PU माह 18.06.2024 पत्रावली में पत्रावली प्रार्थी मसत <u>रबी</u> दिनांक <u>21.06.2024</u> का पेश हो <u>रबी</u> </p>	
21.06.2024	<p>वकील प्रार्थी के पत्रावली/PU माह 21.06.2024 पत्रावली में पत्रावली प्रार्थी मसत <u>रबी</u> दिनांक <u>25.10.2024</u> का पेश हो <u>रबी</u></p>	
22.10.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना - का मित्राल देवी केका करने पर प्रार्थी को देवी में निपा गया वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं के निवेदन दिए</p>	<p>विनोद पंचार 18. </p>



छि पार्वना- फज आगे नही चलाना चाहे है मोजुदा
छि पार्वना- फज आगे नही चलाना चाहे है। अल पार्वना-
फज मोजुदा रिक्वायरी में खारीज छिपा जाय है। फजावनी
नम्बर से कम की जानर बाउ तरीक तकमील जाय
दाखिल दफतर हो।

04 7

सहायकी कमिश्नर एड
सुपरगण्ड अधिकारी
एबतम

30/05/2018
30/05/2018
30/05/2018